



हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

पूर्व से निर्धारित प्रतिवादों की अंतिम सुनवाई दिनांक 31 अक्टूबर तक नहीं होगी संवाददाता देहरादून।

कोविड-19 के दृष्टिगत उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग, देहरादून में पूर्व से निर्धारित प्रतिवादों की अंतिम सुनवाई दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक नहीं होगी। अतः वादकारियों को व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वादकारी अपना

प्रतिउत्तर डाक/ई-मेल/फैक्स द्वारा भेज सकते हैं। यह जानकारी प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग हरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा दी गई।

किसानों के लिए पास किये गये बिलों का सेवादल ने किया विरोध

संवाददाता देहरादून। कांग्रेस सेवा दल ने शिविर कार्यालय टर्नर रोड पर एक बैठक का आयोजन किया जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के लिए पास किये गये बिलों का विरोध किया गया। सेवादल के प्रदेश सचिव व महानगर प्रभारी पीयूष गौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हितों की अनदेखी करते यह विधेयक किसानों की जमीन के अधिकारों को खतरे में डालने वाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार यह कानून बनाकर किसानों की कमर तोड़ने की साजिश रच रही है देश का किसान केंद्र सरकार की कृपा विधेयक से आशक्ति है।

कोरोना सामाजिक संक्रमण रोकने के लिए यापारियों की भूमिका महत्वपूर्ण: भाजपा संवाददाता देहरादून। व्यापारिक संस्थानों में वो दिन लॉकडाउन की बहस के बीच भाजपा प्रदेश उपायक्ष डॉ देवेंद्र भसीन ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण व सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए सातों दिन सामाजिक सक्रियता जरूरी है और इसमें व्यापारियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। भाजपा प्रदेश उपायक्ष डॉ देवेंद्र भसीन ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड 19 अभी सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसे रोकने व वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण के लिए सामाजिक सक्रियता सबसे जरूरी है।

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पकौड़े तलकर दर्ज किया विरोध संवाददाता देहरादून। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा डीएली महाविद्यालय देहरादून के बाहर प्रदेश सरकार रोजगार दो नहीं तो गदी छोड़ो के नारे के रोजगार की मांग की गई और रोजगार न मिलने पर पकौड़े तलकर अपना विरोध दर्ज किया। इस अवसर पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विकास नेहीं ने कहा है कि 2014 में केंद्र सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हर वर्ष दो करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।



मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की होम आईसोलेशन का नियमानुसार पालन किया जाय: मुख्य सचिव

बैठक

संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि होम आईसोलेशन का नियमानुसार पालन किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि होम आईसोलेशन किट सभी को शीघ्र मिल जाय।

स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा होम आईसोलेशन किये गये लोगों के घरों पर जाकर उनको सभी जानकारी एवं आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि होम आईसोलेशन किट सभी को शीघ्र मिल जाय।

स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा होम आईसोलेशन किये गये लोगों के घरों पर जाकर उनको सभी जानकारी एवं आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि सोमवार से रायगढ़ में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर कुछ रियायतें दी जायेंगी, जिससे आने वाले लोगों को संख्या बढ़ेंगी।

■ होम आईसोलेशन किये गये लोगों के घरों पर जाकर उनको सभी जानकारी एवं आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई जाय



माह बाद त्योहारों का सीजन भी शुरू हो जायेगा, जिससे आवागमन में तेजी से वृद्धि होगी। सभी जिलाधिकारी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। पर्यटक स्थलों पर भी लोगों की संख्या बढ़ेंगी। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाय। जिलाधिकारी पर्यटक मैन पावर की व्यवस्था कर लें। अस्पतालों में बाबकि सरकारी अस्पताल में उसी

की पर्याप्त व्यवस्था हो। अगर किसी गम्भीर मरीज को रेफर करना हो तो, इसकी सूचना संबंधित अस्पताल को भी दी जाय, ताकि अस्पताल इसके लिए पहले से तैयार रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून में लोगों से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ प्राइवेट लेब में टेस्ट कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जबकि सरकारी अस्पताल में उसी

व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। यह भी शिकायतें आ रही हैं कि देहरादून के प्राइवेट लेबों से लगभग 50 प्रतिशत लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। उन्होंने डीएम दून को निर्देश दिये कि जिन लोगों के प्राइवेट लेब में टेस्ट पॉजिटिव आये हैं, उनमें से कुछ लोगों की सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग की जाय। यदि किसी प्राइवेट लेब द्वारा गलत रिपोर्ट दी जा रही है, तो उन पर सख्त कारबाई की जाय। उन्होंने कहा कि निर्देश दिये कि यदि कोई गर्भवती महिला कोविड पॉजिटिव आ रही है, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाय। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ की संख्या को बढ़ाने के लिए नर्सिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के बच्चों को हॉपर किया जाय। एनएचएम के मानकों के हिसाब से उन्हें वेतन दिया जाय। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वालों और मास्क का प्रयोग न करने वालों पर लगातार कारबाई की जाय। इस अवसर पर सचिव पंकज

सुपरविजन के लिए वरिष्ठ अधिकारी को रखा जाय: सचिव स्वास्थ्य

सचिव स्वास्थ्य अमित नेहीं ने कहा कि सभी जनपदों में कोविड कन्ट्रोल रूम में सुपरविजन के लिए वरिष्ठ अधिकारी को रखा जाय। 24 घण्टे कार्मिकों की ड्यूटी हो, लोगों की समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाय। कोविड के द्वारा सेंटर, होम आईसोलेशन एवं अन्य स्थानों की अलग-अलग व्यवस्था की जाय। कोविड के द्वारा सेंटर में दिन में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करवाएं। सभी कोविड सेंटरों में सीरीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। दू-नॉट मशीन से सेंपलिंग और बढ़ाई जाय। फ्रन्ट लाइन कोरोना वॉरियर्स को भी आईवर मेंटिन दवा दी जाय। सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपदों में दवा की पर्याप्त उपलब्धता हो।

पाण्डेय, दून मेडिकल कॉलेज के डॉ अशुलोष सयाना, आईजी संजय गुज्जाल, अपर सचिव युगल किशोर पंत, श्रीमती सोनिका, डॉजी स्वास्थ्य डॉ. अमिता उप्रेती, वीसी के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसएसपी एवं सीएमओ उपस्थित थे।

कृषि बिल पर कांग्रेस अपने ही जाल में फँसी

आरोप

■ कुछ बोलते न पड़ा तो हरीश रावत ने मौन धारण कर लिया: भगत

संवाददाता

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशी धर भगत ने कृषि बिल पर कांग्रेस व कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को धरते हुए कहा कि कांग्रेस जो पहले खुद कृषि बिल के समर्थन में थी अब उसका विरोध कर अपने ही जाल में फँस गई है।

यहां जारी एक बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशी धर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समर्थन करते हुए कहा कि साथ ही वे न्यूनतम समर्थन मूल्य और

कांग्रेस के साने के और दिखाने के दाँत हमेशा अलग अलग हो रहे हैं।

कांग्रेस कभी भी जनता से किए वायदे पूरे नहीं करती है। भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस राष्ट्रीय महा सचिव हरीश रावत के मौन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बोलने को कुछ नहीं होता तो मौन रहना मजबूरी बन जाती है।

द्वारा संसद में लाए गए कृषि बिल ऐतिहासिक हैं और इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। इससे उनकी आमदनी व उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि साथ ही वे विचालियों के मकड़ जाल से भी मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका लाभ उत्तराखण्ड के किसानों को भी मिलेगा व प्रदेश में कृषि विकास में भी नई व्यवस्था फायदेमंद होगी। भगत ने कहा कि इन बिलों का विरोध करते हुए कैमरों में कैद हो गए हैं।

Visit Us at <http://app.page3news.co.in>

Supporting Devices

All Apple Touch Phones & Tablets
All Android Touch Phones & Tablets
All Window & BlackBerry Touch Phones 10+



Read News

Watch News Channel

Scan This Code